अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2 फरवरी, 2017

सं0 03/2017-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि.   (अ).-- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की धारा 85 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 6/2005-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(i) क्रम सं0 1 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "9%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8.3%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) क्रम सं0 13, 15 और 20 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(iv) क्रम सं0 21 के सामने स्तंभ (3) के पश्चात् "ब्रांड नाम" शब्दों के पश्चात् "(तंबाकू सहित पान मसाला से भिन्न 'गुटखा')" कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(फा.सं. 334/7/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 6/2005-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 126(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 18/2016-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 235(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।